न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः मुनेश चंद यादव, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी संख्या 144/2026
CNR No.- RJCH060004862026

रवि उर्फ सोपू पुत्र रमेश कुमार उम्र 23 साल निवासी सिवाच पीएस सिवानी जिला भिवानी, हरियाणा

- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

प्रार्थना पत्र बाबत जमानत अंतर्गत धारा 483 BNSS
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 195/2026 पीएस राजगढ
अपराध धारा 103(1)/55 BNS व 3/25(1ख)(क), 25(6)
आयुध अधि० सपठित धारा 61(2)(ए) बी.एन.एस

उपस्थितः-
श्री विरेंद्र सिंह पूनियां, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त रोहित आदि
श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश दिनांकः **06.07.2026**

1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस में अधिवक्ता अभियुक्त ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में मात्र सहअभियुक्त के कहने से झूठा फंसाया गया है, जो कई दिनों से लगातार अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण हिमांशु व अनिल की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी रवि का अपराध उनसे भिन्न प्रकृति का नहीं है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है व ना ही बरामदगी शेष है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। वह अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति हैं, जिसके जेसी रहने से उसके परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। गवाहान को टेम्परविद करने व फरार होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक दृष्टांत खेतसिंह आदि बनाम

राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह कथन किया कि अभियुक्तगण रवि व संदीप द्वारा ही आपराधिक षडयंत्र रचकर सहअभियुक्तगण को राजगढ में व्यापारी की हत्या करने के लिए एकत्रित होने व हथियार दिये गये थे, जिस तथ्य को सहअभियुक्तगण ने स्पष्ट रूप से बताया है। प्रकरण में अभियुक्तगण से इस बाबत जब्ती अधिकारी द्वारा उनके चैतन्य कब्जे से हथियार भी बरामद किये गये हैं। वर्तमान परिदृश्य में रंगदारी जैसे प्रकरणों में काफी वृद्धि हो रही है, जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण के जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके हैं। इसलिए प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 26.05.26 को जिला स्पेशल टीम चूरू से कर्मपाल कानि. व कुलदीप कानि. ने थाना राजगढ आकर सूचना दी कि बिजली बोर्ड राजगढ के पास संदिग्ध लडके खडे हैं, जो किसी व्यवसायी की हत्या करने के इरादे से घूम रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु विक्रम सिंह एएसआई पीएस राजगढ मय जाब्ता कस्बा राजगढ स्थित बिजली बोर्ड की दीवार के पास पहुंचे तो वहां 3-4 व्यक्ति खडे थे, जिनके पास गाडी को ले जाकर रोका तो वहां खडे चारों व्यक्ति पुलिस जाब्ता को देखकर पास खडी मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने का प्रयास करने लगे। उक्त चारों व्यक्तियों को जाब्ते की सहायता से काबू कर नाम पता पूछा तो अपना नाम रोहित उर्फ मैंटल, राहुल, दीपक उर्फ संदीप व अमित होना बताया। चारों शख्स को मुखवीर इतिला से अवगत करवा करवाया एवं कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाब्ते के कर्मपाल व कुलदीप कानि. को मौतवीर रखकर मौके पर नियमानुसार अभियुक्तगण की तलाशी ली गयी तो आरोपी रोहित उर्फ मैंटल से एक पिस्टल मय तीन जिंदा कारतूस, आरोपी राहुल से एक पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस, आरोपी दीपक उर्फ संदीप से दो जिंदा कारतूस मिले। आरोपीगण से उक्त हथियार रखने बाबत लाइसेंस परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया तथा मोटरसाइकिल नं. एचआर 17 सी 7572 को चौथे शख्स अमित ने स्वयं की होना बताया। पूछताछ करने पर उन्होंने यह बताया कि वे सभी एक साथ काम करते हैं और किसी व्यवसायी की हत्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मौके पर हथियारों को कब्जा पुलिस लिया जाकर वाहन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया एवं चारों अभियुक्तगण को पृथक से गिरफतार किया गया...आदि आदि पर पुलिस थाना राजगढ

में प्राथमिकी सं. 195/2026 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त रवि उर्फ सोपू के विरूद्ध धारा 103(1)/55 बी.एन.एस एवं 3/25(1ख)(क), 25(6) आयुध अधिनियम सपठित धारा 61(2)(ए) बी.एन.एस का अपराध प्रमाणित माना गया है।

5- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि दौराने अनुसंधान सहअभियुक्तगण ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि दिनांक 24.05.26 को संदीप उर्फ काला निवासी लंबोर के कहने पर रोहित, राहुल व दीपक तीनों बहल में उनके दोस्त रवि उर्फ सोपू व अमित पुत्र महावीर निवासी सिवाच के पास आये तथा उन्हें हिमांशु उर्फ खतरी निवासी भिवानी व अनिल निवासी पालवास, अनिल की वैगनार गाडी में छोडकर गये। उन्होंने ही अनिल व हिमांशु को उनकी मदद करने के लिए तैयार किया। राजगढ पहुंचने पर रवि या संदीप उर्फ काला बतायेगा कि राजगढ में उन्हें कहां फायरिंग करनी है। संदीप की हथियार बेचने वालों के साथ जान-पहचान है, जो उन्हें हथियार दिलवाने का कहता है और उसी ने फायरिंग करने के बाद उन्हें पांच लाख रूपये व एक ब्रेजा गाडी देने की हां की थी, जिस पर अनिल व हिमांशु भी इस अपराध में शामिल हो गये। राजगढ में व्यवसायी पर फायरिंग करने की योजना में उनके अलावा अनिल, हिमांशु, रवि उर्फ सोपू, संदीप उर्फ काला भी शामिल है और वे सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। रवि उर्फ सोपू व संदीप उर्फ काला ने उन्हें राजगढ में फायरिंग करने बाबत रूपये व ब्रेजा गाडी देने का लालच दिया, जिस कारण उन्होंने फायरिंग करने की योजना बनाई। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त पर आपराधिक षडयंत्र रचकर राजगढ कस्बा में किसी व्यवसायी की हत्या करने की योजना बनाकर एकत्रित होने का गंभीर आरोप है। सहअभियुक्तगण का घटना कारित करने हेतु मौके से हथियार सहित पकडे जाना एवं उनकी गिरफतारी होने से उनके एवं प्रार्थी/अभियुक्त रवि उर्फ सोपू विरूद्ध गंभीरतन प्रकृति का आरोप प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है।

6- पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त रवि ने पूछताछ नोट में उक्त घटना कारित करने बाबत स्पष्ट कथन किया है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण द्वारा स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त रवि उर्फ सोपू द्वारा बहल में उन्हें हथियार उपलब्ध करवाने की इतिला दी गयी है और उक्त इतिला को तस्दीक भी करवाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त **रवि उर्फ सोपू** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्न है-

Sr. No.	Fir No.	Police Station	Section	Date & Status	Date of Arrest
1	202/26	राजगढ	3/25 आयुध	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
2	203/25	सिवानी	115,127,351 बीएनएस	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
3	276/20	सिवानी	147,149,323,341 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं

7- पत्रावली के अवलोकन से हालांकि अभियुक्त रवि का अपराध अन्य अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है परंतु उसके व संदीप उर्फ काला के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर व उन्हें हथियार आदि सप्लाई करके प्रकरण की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे उसका कृत्य सहअभियुक्तगण से अवश्य भिन्न प्रकट हो रहा है और इस कारण उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। साथ ही उसके विरूद्ध धारा 103(1)/55 बी.एन.एस एवं 3/25(1ख)(क), 25(6) आयुध अधिनियम का अपराध स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा प्रमाणित पाया गया है और मौके से हथियारों की बरामदगी व प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिससे अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रकट हो रही है। इसी कारण अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, कतई चलने योग्य नहीं है और न्यायालय के विनम्र मत में इसी स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिदृश्य में इस प्रकार के अपराधों में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है, जिससे अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने से ऐसे अपराधों में वृद्धि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

8- ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता, अपराध की गंभीरता एवं पूर्व आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

9- अतः प्रार्थी/अभियुक्त रवि उर्फ सोपू पुत्र रमेश कुमार उम्र 23 साल निवासी सिवाच पीएस सिवानी जिला भिवानी, हरियाणा का यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू

10- आदेश आज दिनांक 06.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू